

उप अहकाम

उप खण्ड अधिकारी (नियम 26)
बडीसादडी (विद्योपवडी)

अज्ञ अहकाम

मुकाम

चतरभुज

बनाम

इन्डुहास

किसम मुकदमा

नं.

128 LRA

सन्

68/2018

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुएतारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इन्डिशियल्स जज

27/4/18

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.
अन्याय का वाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज
कराया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन
कराया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई।
तहसीलदार बडीसादडी को कमीशनर नियुक्त
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
मौजा.....

ग्राम मुकनपुरा..... की

आ.नं. 282 खण्ड 0.80 हे. की
विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों
की मौजूदगी में की जावे।

प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये 500/-
वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावे। (पाँच सौ रुपये)

पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर
देखने हुनार होकर नम्बर से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

